Annexure-A

क्षतिपूर्ति बंध पत्र

(समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं .... पुत्र/पत्नी श्री .... उम्र .... वर्ष निवासी .... ने सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि.विभाग, उपखण्ड .... के कार्यालय में घरेलू पेयजल कनेक्शन हेतु आवेदन किया है। जन स्वा. अभि. विभाग, राजस्थान ने उक्त ... . स्थित मकान .... को मेरे अपेक्षित घरेलू पेयजल कनेक्शन के लिये उक्त मकान के मालिकाना हक के दस्तावेज/मकान मालिक की सहमति मॉगी है।

मैं उक्त मकान में .... वर्षो से नियमित रूप से निवास कर रहा हूँ परन्तु मैं उक्त मकान के मालिकाना हक के दस्तावेज/मकान मालिक का सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ। अतः उक्त संबंध में जन स्वा. अभि. विभाग को शपथ पूर्वक निम्न लिखित वचन देता हूँ।

1. मेरे और मकान मालिक/किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी के मध्य इस पेयजल कनेक्शन के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता हैं तो जन स्वा. अभि. विभाग इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी विभाग को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/खर्चो की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान मालिक की बिना सहमति के जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा मुझे उक्त परिसर में पेयजल कनेक्शन दिये जाने हेतु साक्ष्य किया जाये। मैं वचन देता हूँ कि विभाग को इस सम्बन्ध में हुए वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियों/क्षतियों एवं खर्चे की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।
2. मैं उक्त पेयजल संबंध से प्राप्त जल का उपयोग केवल घरेलू उपयोग हेतु ही करूँगा।
3. पेयजल संबंध तथा संबंधित दस्तावेज पेयजल संबंध के परिसर/मकान के कानूनी मालिकाना हक के साक्ष्य के रूप में मान्य नही होगा तथा ना ही मैं इस्तेमाल करूँगा।

स्थान	साक्षी का नाम एवं हस्ताक्षर	(निष्पादक का नाम एवं हस्ताक्षर)
दिनांक	पता	पता